

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 — भाद्रपद 4, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

क्रमांक-9629/वि.स./विधान/2020. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. / —

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 3 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 28) विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.	1.	यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 28) अधिनियम, 2020 कहलाएगा।
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 38,07,46,14,714 रूपयों का दिया जाना।	2.	छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2020 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 38,07,46,14,714 (तीन हजार आठ सौ सात करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार हजार सात सौ चौदह रूपये) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे।
विनियोग.	3.	इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित विधान सभा द्वारा अनुदत्त	से अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	0	2,07,39,00,000	2,07,39,00,000
01	सामान्य प्रशासन	पूँजी 18,26,000	0	18,26,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 5,53,96,000	0	5,53,96,000
		पूँजी 79,96,000	0	79,96,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,20,00,00,100	0	1,20,00,00,100
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
10	वन	राजस्व 13,80,00,100	3,38,61,542	17,18,61,642
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 200	0	200
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी 50,00,000	0	50,00,000
13	कृषि	राजस्व 4,67,28,67,300	0	4,67,28,67,300
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 11,78,12,100	0	11,78,12,100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 100	0	100
16	मछली पालन	राजस्व 200	0	200
17	सहकारिता	राजस्व 100	0	100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व 3,87,30,68,000	77,84,000	3,88,08,52,000
		पूँजी 80,00,00,000	0	80,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व 700	35,00,000	35,00,700
		पूँजी 2,25,00,52,000	0	2,25,00,52,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूँजी 200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूँजी 8,00,00,000	0	8,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व 1,00,00,000	0	1,00,00,000
		पूँजी 5,00,300	0	5,00,300
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 15,00,000	0	15,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 5,00,000	0	5,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व 200	0	200
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व 20,00,000	0	20,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व 11,35,00,100	0	11,35,00,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,62,00,00,000	0	1,62,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित विधान सभा द्वारा अनुदत्त	से अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 15,00,000	0	15,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व 200	0	200
34	समाज कल्याण	राजस्व 19,89,23,400	0	19,89,23,400
36	परिवहन	राजस्व 10,100	0	10,100
39	खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 5,90,64,79,600	0	5,90,64,79,600
		पूंजी 3,01,90,17,400	0	3,01,90,17,400
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी 3,80,000	0	3,80,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व 400	0	400
44	उच्च शिक्षा	राजस्व 300	0	300
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व 200	0	200
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व 300	0	300
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व 9,46,63,000	0	9,46,63,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व 4,80,68,00,000	0	4,80,68,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व 2,02,24,85,100	0	2,02,24,85,100
		पूंजी 58,03,51,000	0	58,03,51,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व 25,00,00,100	0	25,00,00,100
		पूंजी 17,10,57,200	0	17,10,57,200
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व 10,00,000	0	10,00,000
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 1,71,99,000	0	1,71,99,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी 50,00,000	0	50,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी 300	0	300
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 7,99,56,100	0	7,99,56,100
		पूंजी 87,07,25,372	0	87,07,25,372
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व 100	0	100
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व 18,00,00,000	0	18,00,00,000

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां	विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)	(3)	₹	₹	₹
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	100	0	100
योग	राजस्व	26,56,36,63,400	2,11,90,45,542	28,68,27,08,942	
	पूंजी	9,39,19,05,772	0	9,39,19,05,772	
वृहद योग		35,95,55,69,172	2,11,90,45,542	38,07,46,14,714	

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 24 अगस्त, 2020

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा